1.12.2017

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र हेतु पेश ।

विद्वान वकील प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अहस प्रा0 पत्र में कथन किया कि अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष धारा-136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है जबकि लैण्ड रेवेन्यू रेकार्ड आफिसर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-75 (ए) के तहत भू-अभिलेख आयुक्त के समक्ष होने का प्रावधान है जिसकी शक्तियां सम्भागीय आयुक्त को दे रखी है । इस कारण यह अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं है । अदालत मातहत में पेश प्रकरण केवल नक्शा/रेकार्ड दुरूस्ती का है जिसकी नोयत को देखने मात्र से स्पष्ट है केवल स्थाई निषेधाज्ञा लिख देने से वह दावा की तारीफ में नहीं आता है। इस कारण अपीलान्ट की अपील पोषणीय नहीं है। अदालत मातहत ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर पूर्व के नक्शा के समान बनाकर अदालत मातहत ने इसी आधार पर नक्शा को लैण्ड ए आफिसर की हैसियत से दुरूस्त किया है । जिससे अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार भी नहीं है । अपीलान्ट ख0नं0 892 में कोई हित नहीं रखता है और ना ही पूर्वी दिशा का सींवा जोड पडौसी होने मात्र से उसे यह अपील पेश करने का कोई हक अधिकार नहीं है । अपीलान्ट के कोई हक प्रभावित नहीं होते हैं । अतः अपीलान्ट विवादित आराजी का किसी भी प्रकार से प्रभावित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

1-12-17

व्यक्ति नहीं है । अतः अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ।अतः अपीलान्ट की अपील किसी भी स्तर से माननीय न्यायालय मे चलने योग्य नहीं है ।प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति स्वीकार कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील खारिज की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट/अप्रार्थी ने बहस प्रार्थना विधिक आपत्ति में कथन किया कि अदालत मातहत में दावा बाबत नक्शा दुरूस्ती व रेकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का था। इस कारण यह प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार की जिसको सुनवाई का पूर्ण अधिकार है । प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0-। का प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति खारिज किया जावे ।दावे की रिलीफ में भी दावा डिक्री किये जाने बाबत लिखा गया है ।प्रस्तुत प्रकरण को सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्भागीय आयुक्त को नहीं है ।माननीय न्यायालय को ही है ।प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति खारिज किया जावे । बहस में आगे कथन करते हुये प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी में बताया कि अदालत मातहत ने आदेश पारित किया है उसमें पूर्वी साईड में रेस्पो0 सं0-। की भूमि खसरा नं0 892 जो गैर मुमकीन रास्ता है की साईड में डोटेड लाईन को मिटाने का दिया है। अपीलान्ट इस आराजी का पूर्वी साईड का सींवा जोड खातेदार काश्तकार है। जिससे अपीलान्ट के प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है ।इस कारण यह अपील धारा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है ।अपीलाट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र तथा विद्वान अभिभाषकगणो द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया । सर्वप्रथम विधिक आपत्ति प्रार्थना पत्र में अदालत मातहत में

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	निषेधाज्ञा का पेश किया जाना दर्ज है । अदालत मातहत ने प्रकरण में निर्णय करते हुये आदेश पारित किया कि राजस्व नक्शों में दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं ।इसके अलावा अदालत मातहत ने स्थायी निषेधाज्ञा बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया तथा ना ही अदालत मातहत में स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही है । अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रकरण से यह स्पष्ट है कि प्रकरण केवल धारा -।36 राज0 भू-राजस्व अधिनियम के तहत है। जिसमें किसी प्रकार की डिक्री भी जारी नहीं की गई । धारा-।36 एल0आर0एक्ट के तहत पारित आदेश के विरूद्ध कानूननइस न्यायालय में अपील पोषणीय नहीं है । अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम हो ।निर्णय सुनाया गया । (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ।	